प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

पीठ: माननीय श्री **टी. पी. शर्मा** एवं

माननीय श्री **आर. एन. चंद्राकर** न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 347 / 2005

रामकुमार हरबंश एवं एक अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

दिनांक:
15/11/2011

माननीय श्री आर. एन. चंद्राकर, न्यायाधीश मैं सहमत हूँ।

सही/-

आर. एन. चंद्राक

न्यायाधीश

दिनांक:
15/11/2011

निर्णय उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया : 15/11/2011

सही/-

न्यायाधीश

दिनांक:
15/11/2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ :

कोरम: माननीय श्री **टी.पी. शर्मा** एवं

माननीय श्री **आर.एन. चंद्राकर**, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 347/2005

अपीलार्थी (न्यायिक हिरासत में): 1. रामकुमार हरबंश, पुत्र कथेहरा, उर्फ बलराम,

जाति सतनामी, आयु लगभग 28 वर्ष।

2. फूलबाई, पत्नी रामकुमार हरबंश, आयु लगभग 27 वर्ष।

दोनों निवासी – ग्राम तुषार, थाना जैजैपुर, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना जैजैपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

अपीलार्थिगण की ओर से:श्री जनक राम वर्मा, अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से:श्री डी.के. ग्वालरे, शासकीय अधिवक्ता

निर्णय

(दिनांक 15 नवम्बर 2011 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय **टी.पी. शर्मा**, न्यायाधीश द्वारा दिया गया:-

1. यह अपील, सत्र विचारण क्रमांक 435/2004 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती द्वारा दिनांक 30.03.2005 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय के द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को सामान्य आशय के साथ अनिताकुमारी की हत्या का दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया तथा उन्हें आजीवन कारावास एवं ₹1000/- के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त रूप से तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषी ठहराया एवं दंडित किया है, जो कि विधि के विपरीत है और इस प्रकार न्यायालय द्वारा अवैधता कारित की गई है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थि रामकुमार, जो सह-अपीलार्थि फूलबाई का पति है, रामनारायण सतनामी का भाई है, अर्थात् दुर्भाग्यशाली मृतक अनिताकुमारी का पिता है। दोनों पक्षों के मकान एक-दूसरे से सटे हुए हैं। संपत्ति विवाद के कारण दोनों पक्षों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। दिनांक 6.7.2004 को लगभग शाम 5:30 बजे, मृतका अनिताकुमारी, जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष थी, अपने किचन गार्डन में सब्जी बो रही थी; संभवतः यह किचन गार्डन भी विवाद का विषय था। अपीलकर्ता रामकुमार ने अनिताकुमारी के नितंब (पिछले हिस्से) पर डंडे से प्रहार किया और अपनी पत्नी अपीलकर्ता फूलबाई को केरोसिन लाने के लिए बुलाया। फूलबाई केरोसिन तेल लेकर आई। इसके पश्चात अपीलकर्ता रामकुमार ने मृतका अनिताकुमारी के ऊपर केरोसिन तेल डाल दिया और उसके हाथ पकड़ लिए। तत्पश्चात अपीलकर्ता फूलबाई ने माचिस जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। मृतका ने सहायता के लिए चिल्लाना शुरू किया। एक लड़की ने मृतका के पिता रामनारायण सतनामी (अ.सा.-2) एवं माता सोनकुंवर सतनामी (अ.सा.-3) को सूचना दी। वे दोनों तथा अन्य लोग भी तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे। मृतका ने अपने पिता रामनारायण सतनामी (अ.सा.-2) एवं माता सोनकुंवर सतनामी (अ.सा.-3) के समक्ष मृतुकालिक कथन दिया, जिसमें उसने कहा कि अपीलकर्ता रामकुमार ने फूलबाई को केरोसिन लाने के लिए बुलाया, उसके ऊपर केरोसिन डाला और उसे पकड़कर रखा, तथा फूलबाई ने उसे आग लगा दी। उन्हें तत्काल उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जैजैपुर ले जाया गया। मृतका के पिता रामनारायण सतनामी (अ.सा.-2) द्वारा एफ.आई.आर. प्र.पी/3 के माध्यम से दर्ज कराया गया। मृतका अनिताकुमारी का चिकित्सीय परीक्षण डॉ. एस.एल. बंजारे (अ.सा.-9) द्वारा प्र.पी /11 के अंतर्गत किया गया, जिसमें यह पाया गया कि उसके दोनों निचले अंगों तथा दोनों ऊपरी अंगों, छाती एवं चेहरे पर जलने की चोटें थीं। उसकी नाड़ी कमजोर थी, रक्तचाप रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। जलने की चोटें लगभग 80% से 90% तक थीं। प्रकरण अत्यंत आपातकालीन था। वह अर्धचेतन अवस्था में थी तथा उसके शरीर से केरोसिन की गंध आ रही थी। उसे तत्काल सिम्स, बिलासपुर रेफर किया गया, जिसका उल्लेख प्र.पी /15 में है। पुलिस द्वारा उसके मृतुकालिक कथन को दर्ज किए जाने हेतु आवेदन किया गया (प्र.पी /12), किंतु डॉ. एस.एल. बंजारे ने प्र.पी /12 के माध्यम से यह राय दी कि रोगी बयान देने की मानसिक स्थिति में नहीं है। उसे सिम्स, बिलासपुर ले जाया जा रहा था, किंतु यात्रा के दौरान अनिताकुमारी की मृत्यु हो गई। घायल अनिताकुमारी को सिम्स, बिलासपुर ले जाते समय आरक्षक जोगी सिंह उसके साथ था,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिसने मर्ग सूचना प्र.पी /19 के तहत दर्ज की। गवाहों को तलब करने के उपरांत प्र.पी /1 के माध्यम से मृतका अनिताकुमारी के शव का पंचनामा/इन्क्वेस्ट तैयार किया गया, जिसका उल्लेख प्र.पी /2 में है। मृतका के शव से केरोसिन की गंध वाले जले हुए कपड़े के टुकड़े एवं जले हुए बाल प्र.पी /4 के तहत जब्त किए गए। घटनास्थल से केरोसिन तेल से भरी प्लास्टिक जरीकैन, माचिस,जले हुए चप्पल का टुकड़ा एवं जले हुए कपड़े का टुकड़ा प्र.पी /16 के अंतर्गत जब्त किए गए। घटना स्थल के पास पड़ी एक बाँस की लाठी अपीलकर्ता रामकुमार से प्र.पी /17 के तहत जब्त की गई। विवेचना अधिकारी द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श/18 के माध्यम से तैयार किया गया। मृतका का शव पोस्टमार्टम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जैजैपुर भेजा गया (प्र.पी /13), जहाँ डॉ. एस.एल. बंजारे (अ.सा.-9) ने पोस्टमार्टम प्र.पी /14 के तहत किया और निम्नलिखित लक्षण एवं चोटें पाई गईं—

(i) मृतका का मुँह खुला हुआ था, जीभ मुँह के अंदर थी, पुतलियाँ फैली हुई एवं लाल थीं, भौहें जली हुई थीं, सिर के बाल जले हुए थे तथा बालों, कपड़ों एवं शरीर से केरोसिन की गंध आ रही थी।

(ii) दोनों ऊपरी अंगों, दोनों निचले अंगों, छाती, आगे एवं पीछे का भाग तथा चेहरे पर सतही जलने की चोटें थीं। गुप्तांग जले हुए नहीं थे। हथेलियाँ एवं तलवे भी नहीं जले थे।

(iii) बाएँ स्कैपुलर (कंधे के पीछे) क्षेत्र में 6" × 2" का नीलांगू पाया गया।

(iv) बाएँ हाथ पर 4" × 2" का नीलांगू पाया गया।

(v) बाएँ स्कैपुलर क्षेत्र में 4" × 3" का नीलांगू पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त समस्त चोटें मृत्यु-पूर्व की थीं। शव में रिगर मॉर्टिस (शव की अकड़न) विद्यमान थी। गर्दन एवं श्वासनली में कालिख पाई गई। बाल चमकीले लाल रंग के रक्त से सने हुए थे। मृत्यु का कारण शरीर में तरल पदार्थों की अत्यधिक हानि के कारण उत्पन्न शॉक बताया गया। पटवारी द्वारा मौका नक्शा प्र.पी /8 के माध्यम से तैयार किया गया। जब्त सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु प्र.पी /23 के अंतर्गत भेजा गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'कोड') की धारा 161 के अंतर्गत गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आरोप पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय,

बिलासपुर को उपरपित किया, जहाँ से माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती द्वारा विचारण हेतु प्रकरण अंतरण पर प्राप्त किया गया।

5. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के दोष को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष ने कुल 16 गवाहों का परीक्षण कराया है। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए उक्त अपराध में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया। बचाव पक्ष द्वारा नीलकंठ सोनी (ब.सा.-1) को साक्षी के रूप में परीक्षित किया गया, जिसने यह बयान दिया कि उसके समक्ष कोई घटना घटित नहीं हुई थी तथा उसे गाँव में यह जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलकर्ता रामकुमार के भाई की पुत्री को जलाया गया था, जिसे वे अस्पताल ले जा रहे थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने विशेष रूप से यह कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि वह लड़की कैसे जली। उसने स्पष्ट रूप से यह भी स्वीकार किया कि उसे इस घटना के संबंध में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं थी।

6. दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती ने अपीलकर्ताओं को पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध ठहराते हुए दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का परीक्षण किया।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने पुरज़ोर तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि यह प्रकरण मृतका की माता सोनकुंवर सतनामी (अ.सा.-3) के समक्ष किए गए मृतुकालिक कथन पर आधारित है, जो विश्वास एवं विश्वसनीयता उत्पन्न नहीं करता। अन्य किसी भी गवाह ने उक्त मृतुकालिक कथन के तथ्य की पुष्टि नहीं की है। अभियोजन के प्रारंभिक कथन के अनुसार, एक लड़की ने इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, किंतु अभियोजन को ज्ञात कारणों से उस लड़की को वास्तविक घटना उजागर करने हेतु न्यायालय में परीक्षित नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में, हितबद्ध , शत्रुतापूर्ण एवं रिश्तेदार गवाहों के साक्ष्य विश्वास उत्पन्न को प्रेरित नहीं करते तथा उन पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। श्रीमती पनबाई (अ.सा.-1), रामनारायण सतनामी (अ.सा.-2) एवं सोनकुंवर सतनामी (अ.सा.-3) के साक्ष्यों में महत्वपूर्ण विरोधाभास , चूक एवं अतिशयोक्ति पाई जाती हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, घायल ने पुलिस अधिकारी के समक्ष मृतुकालिक कथन दिया था, किंतु पुलिस अधिकारी ने उक्त मृतुकालिक कथन के तथ्य की पुष्टि नहीं की है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध किए जाने की मात्र संभावना उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु यह निष्कर्ष निकालने हेतु पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलकर्ताओं ने वास्तव में उक्त अपराध किया है।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शिवकुमार एवं अन्य** [1]के मामले पर भरोसा रखते हुए तर्क प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाहों में से एक की गवाही चिकित्सीय साक्ष्य से असंगत थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसने वास्तविक घटना को देखा ही नहीं था तथा अन्य कथित प्रत्यक्षदर्शी की घटना-स्थल पर उपस्थिति भी संदेहास्पद थी। इसके अतिरिक्त, मृतक की पत्नी, जो कथित रूप से घटना के समय उसके साथ थी, का परीक्षण न किया जाना अभियोजन के लिए घातक है तथा अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **नरसप्पा बनाम कर्नाटक राज्य**[2] के प्रकरण पर भी भरोसा रखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि ऐसे गवाह का साक्ष्य, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी न हो, तथा यह तथ्य कि अभियुक्त मृत शरीर को ले जा रहा था, अधिकतम स्थिति में केवल अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में प्रबल संदेह उत्पन्न कर सकता है; किंतु चाहे संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। अतः, अन्य किसी साक्ष्य के अभाव में, जो अभियुक्त को उक्त अपराध से जोड़ता हो, अभियुक्त को दोषसिद्धि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **शरद बिर्धिचंद सरडा बनाम महाराष्ट्र राज्य** [3]के प्रकरण पर भी भरोसा रखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से दो दृष्टिकोण संभव हों—एक अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करता हो तथा दूसरा उसकी निर्दोषता की ओर—तो अभियुक्त उस दृष्टिकोण का लाभ पाने का अधिकारी है जो उसके पक्ष में हो। इसके अतिरिक्त, विद्वान अधिवक्ता ने **शेख मेहबूब उर्फ हेतक एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[4] के प्रकरण पर भी भरोसा रखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि हत्या की स्थिति में अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि मृत्यु हत्या के कारण हुई है, न कि आत्महत्या अथवा दुर्घटना के कारण। यदि यह संदेह बना रहे कि जलने की चोटें दुर्घटनावश थीं या हत्या के कारण, तो अभियुक्त बरी किए जाने का अधिकारी होता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे **अरुण भानुदास पवार बनाम महाराष्ट्र**[5] **राज्य** के प्रकरण पर भी भरोसा रखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि यह सिद्ध न हो कि घायल व्यक्ति मृतुकालिक कथन देते समय चेतन अवस्था में था तथा मानसिक रूप से स्वस्थ एवं उपयुक्त स्थिति में था, तो ऐसे मृतुकालिक कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

10. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि मुख्यतः रामनारायण सतनामी (अ.सा.-2) एवं सोनकुंवर सतनामी (अ.सा.-3) के साक्ष्यों पर आधारित है, जिनके समक्ष मृतका ने मृतुकालिक कथन किया था। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह भी बयान दिया है कि घायल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (2005) 11 SCC 212
[2] (2007) 10 SCC 770
[3] AIR 1984 SC 1622
[4] (2005) 10 SCC 387
[5] (2008) 11 SCC 232

ने पुलिस के समक्ष भी मृतुकालिक कथन किया था, यद्यपि पुलिस ने प्रत्यक्ष रूप से उक्त मृतुकालिक कथन के तथ्य को स्वीकार नहीं किया है। प्रदर्श/10 के अंतर्गत चिकित्सा परीक्षण हेतु दिए गए आवेदन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अधिकारी को यह सूचना दी गई थी कि अपीलकर्ता रामकुमार ने मृतका पर केरोसिन तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि मृतुकालिक कथन भी एक प्रकार का साक्ष्य होता है और यदि वह सत्य सिद्ध हो जाए, तो मात्र उसी के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है।

11. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए, हमने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

12. वर्तमान प्रकरण में, अपीलकर्ताओं की ओर से इस तथ्य का कोई ठोस खंडन नहीं किया गया है कि अनिताकुमारी की मृत्यु मृत्यु-पूर्व जलने की चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी। दूसरी ओर, यह तथ्य डॉ. एस.एल. बंजारे (अ.सा.-9) के साक्ष्य, प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी /11, संदर्भ पत्र प्र.पी /15 तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी /14 से स्थापित होता है कि अनिताकुमारी की मृत्यु जलने की चोटों के कारण हुई थी।

13. जहाँ तक इस प्रकरण में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का प्रश्न है, एफ.आई.आर. प्र.पी /3, जो रामनारायण (अ.सा.-2) द्वारा दर्ज कराई गई थी, उसके अनुसार उसे इस घटना की सूचना एक लड़की द्वारा दी गई थी। उसके साक्ष्य के पैरा 1 में उसने स्वीकार किया है कि एक छोटी लड़की ने उसे सूचना दी थी और चिल्लाकर कहा था कि अनिताबाई जल गई है, किन्तु अभियोजन पक्ष ने उस लड़की का परीक्षण नहीं कराया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शिव कुमार (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में यह निर्णय दिया गया है कि यदि चिकित्सा साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के बीच विसंगति हो तथा ऐसे प्रत्यक्षदर्शियों की पहचान को लेकर संदेह हो, और जो अन्य गवाह घटना स्थल पर उपस्थित बताए गए हों, उनका परीक्षण न किया गया हो, तो यह अभियोजन के लिए घातक होता है और ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी होता है। यद्यपि अभियोजन ने उस लड़की का परीक्षण नहीं कराया है, तथापि किसी भी पक्ष द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उस लड़की ने वास्तव में घटना को देखा था और वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी थी। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, बल्कि मृतुकालिक कथन पर आधारित है। इन परिस्थितियों में, कथित लड़की का परीक्षण न किया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता। मृतुकालिककथन से संबंधित साक्ष्य पर केवल इस आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता कि कथित बाल गवाह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का परीक्षण नहीं कराया गया। **शिव कुमार (पूर्वोक्त)** के मामले के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं।

14. जहाँ तक इस तथ्य का संबंध है कि दोषसिद्धि मृतका अनिताकुमारी के मृतुकालिक कथन पर आधारित है, जो उसने श्रीमती पनबाई (अ.सा.-1), रामनारायण सतनामी (अ.सा.-2) — मृतका के पिता, सोनकुंवर सतनामी (अ.सा.-3) — मृतका की माता, सुरेन्द्र कुमार सतनामी (अ.सा.-7) तथा गोपाल भारद्वाज (अ.सा.-8) के समक्ष दिया था। अ.सा.-3 सोनकुंवर सतनामी, जो कि मृतका अनिताकुमारी की माता हैं, के साक्ष्य के अनुसार, मृतका एवं अपीलार्थियों के मध्य संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। घटना के समय, सब्जी बोने को लेकर हुए विवाद के कारण अपीलार्थी रामकुमार ने कु. अनिताकुमारी (अब मृत) के साथ मारपीट की। तत्पश्चात, दोनों अपीलार्थियों ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। अपने साक्ष्य के पैरा 4 में, उसने यह कथन किया है कि अनिता ने उसके समक्ष मृतुकालिक कथन दिया था कि अपीलार्थी फूलबाई ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और अपीलार्थी रामकुमार ने उसे आग लगा दी। अपने विस्तृत प्रतिपरीक्षण में, उसने यह भी बयान दिया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि उसने घटना को स्वयं देखा है, किन्तु यह तथ्य उसके उस बयान में परिलक्षित नहीं होता, जो धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्र.डी/2 के रूप में दर्ज किया गया था। प्र.डी/2 के अनुसार, उसकी पुत्री जली हुई अवस्था में पड़ी हुई थी तथा अपीलार्थी फूलबाई के हाथ में मिट्टी का तेल था और वह अनिता के पास खड़ी थी। अपीलार्थी रामकुमार के हाथ में माचिस की डिब्बी थी और वह भी अनिता के पास खड़ा था। उसकी पुत्री जल रही थी और जलने के दौरान गिर पड़ी थी। प्र.डी/2 के अनुसार, अनिता ने मृतुकालिक कथन दिया था कि फूलबाई ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और रामकुमार ने उसे आग लगाई, परंतु न्यायालय में दिए गए अपने बयान में उसने यह कहा है कि उसने स्वयं इस घटना को घटित होते देखा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. निस्संदेह, इस साक्षी के साक्ष्य का वह भाग, जिसमें उसने यह कहा है कि उसने स्वयं घटना देखी है, अतिरंजित प्रतीत होता है; किंतु यदि उसके साक्ष्य को प्र.डी/2, अर्थात् पुलिस द्वारा दर्ज उसके कथन के आलोक में सूक्ष्मता से विचार किया जाए, तो केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परिस्थितियों को देखते हुए उसने प्रथम दृष्टया जो देखा, वह यह था—अपनी पुत्री का जलता हुआ शरीर, उसकी पुत्री के समीप मिट्टी का तेल लिए हुए अपीलार्थी फूलबाई की उपस्थिति तथा उसकी पुत्री के पास माचिस की डिब्बी लिए हुए अपीलार्थी रामकुमार की उपस्थिति। ऐसी स्थिति में, वास्तविक घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखे बिना भी कोई व्यक्ति सुरक्षित रूप से यह अनुमान लगा सकता है और कह सकता है कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने ही उपर्युक्त जलने की चोटें कारित की हैं। अतः केवल इस आधार पर कि न्यायालय में दिए गए कथन में उसने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया है, उसके

साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराना पर्याप्त नहीं है। उसने अत्यंत स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि उसकी पुत्री ने मृतुकालिक कथन दिया था कि अपीलार्थी फूलबाई ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और अपीलार्थी रामकुमार ने उसे आग लगा दी।

16. श्रीमती पनबाई (अ.सा.-1), जो कि मृतका अनिताकुमारी की नानी हैं, ने अपने साक्ष्य में यह बयान दिया है कि मृतका ने मृतुकालिक कथन दिया था। अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में उन्होंने विशेष रूप से यह कहा है कि मृतका ने उनके समक्ष तथा पुलिस के समक्ष मृत्युपूर्व कथन दिया था। सुरेन्द्र कुमार सतनामी (अ.सा.-7) तथा गोपाल भारद्वाज (अ.सा.-8) ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है। प्र.पी /19 मर्ग सूचना के अनुसार, आरक्षक जोगी सिंह घायल अनिता को सिम्स, बिलासपुर ले जा रहा था। उप निरीक्षक अर्जुन कुमार सिंह (अ.सा.-12) के साक्ष्य के पैरा 12 के अनुसार, जोगी सिंह ने यह नहीं कहा है कि अनिता ने उसके समक्ष मृतुकालिक कथन दिया था; तथापि, उपर्युक्त साक्षियों ने यह तथ्य बयान किया है कि मृतका ने पुलिस के समक्ष मृतुकालिक कथन दिया था। प्र.पी /11 प्रथम चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अनिता की स्थिति गंभीर थी, वहाँ तीव्र आपातकालीन अवस्था थी, किंतु वह अचेत नहीं थी; अपितु वह अर्धचेतन अवस्था में थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. मृतका ने श्रीमती पनबाई (अ.सा.-1), सोनकुंवर सतनामी (अ.सा.-3), सुरेन्द्र कुमार सतनामी (अ.सा.-7) तथा गोपाल भारद्वाज (अ.सा.-8) के समक्ष तथा पुलिस के समक्ष मृतुकालिककथन दिया था, जिसे इन साक्षियों ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। केवल इस आधार पर कि अभियोजन ने आरक्षक जोगी सिंह, जिनके समक्ष मृतका ने मृतुकालिक कथन दिया था, को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया, इस साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन ने मृतका के पिता रामनारायण सतनामी (अ.सा.-2) को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अपीलार्थी रामकुमार का भाई तथा अपीलार्थी फूलबाई का बहनोई है। अपने साक्ष्य के पैरा 1 के अनुसार, वह अपनी पत्नी सोनकुंवर, साले सुरेन्द्र, गोपाल, हरि तथा सास पनबाई के साथ उपस्थित था। एक छोटे बच्चे ने यह सूचना दी कि अनिता जल गई है, तत्पश्चात वे सभी तत्काल वहाँ पहुँचे। उस समय अनिता अपीलार्थियों और उसके साझा आँगन में पड़ी हुई थी। इसके बाद वे अनिता को अस्पताल एवं थाना ले गए। उसकी पत्नी सोनकुंवर, उसकी सास पनबाई तथा उसके ससुर माहत्तर, अनिता को लेकर गए और उसके साथ थे। अपने साक्ष्य के पैरा 3 में उसने यह कहा है कि उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसकी पुत्री का चिकित्सकीय परीक्षण जैजैपुर

अस्पताल में हुआ था या नहीं, क्योंकि वह स्वयं उस समय थाने में था। अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया।अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 एवं 12 में उसने मृतुकालिक कथन के तथ्य से इंकार किया है। पैरा 13 में उसने यह बयान दिया है कि उसका तथा अपीलार्थियों का रसोईघर अलग-अलग है। उसके रसोईघर में एक खाली जरीकैन पड़ी हुई थी तथा वहाँ मिट्टी का तेल भी पाया गया। उसने यह भी कहा कि अनिता ने उसे मृतुकालिक कथन दिया था कि उसने स्वयं ही अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर स्वयं को आग लगा ली। अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 14 में उसने आगे यह बयान दिया कि उसकी पुत्री घटना स्थल पर अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी तथा वह कुछ भी बोलने या बयान देने की स्थिति में नहीं थी। उसने यह भी कहा कि जब वह अपनी पुत्री को इलाज हेतु अस्पताल ले जा रहा था, तब पुलिस उनके साथ नहीं थी। किन्तु इस तथ्य का खंडन श्रीमती पनबाई (अ.सा.-1), जो कि रामनारायण (अ.सा.-2) की सास हैं, सोनकुंवर सतनामी (अ.सा.-3), जो उसकी पत्नी हैं, सुरेन्द्र (अ.सा.-7) तथा गोपाल (अ.सा.-8), जो उसके साले हैं—इन सभी साक्षियों द्वारा किया गया है। यद्यपि अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया है, तथापि यह निर्विवाद है कि वह मृतका का पिता है, साथ ही अपीलार्थी रामकुमार का भाई एवं अपीलार्थी फूलबाई का बहनोई भी है। यह कहना सही नहीं है कि यह साक्षी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता, क्योंकि उसके अनुसार वही अकेला व्यक्ति था जो रिपोर्ट दर्ज कराने थाना गया था तथा पुलिस, जैजैपुर में इलाज हेतु ले जाते समय उसकी पुत्री के साथ नहीं थी। उसके उपर्युक्त बयान का खंडन अन्य दस्तावेजों, अर्थात् प्र.पी /3 एफ.आई.आर., प्र.पी /10 चिकित्सकीय परीक्षण हेतु आवेदन पत्र तथा प्र.पी /11 चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट से होता है, जिनसे यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि घटना के समय मृतका बोलने की स्थिति में थी। उसने इस साक्षी को मृतुकालिक कथन दिया था, जिसकी सूचना उसने पुलिस को प्र.पी /3 एफ.आई.आर. में दी है। इसके अतिरिक्त, प्र.पी /10, जो कि पुलिस द्वारा तैयार किया गया चिकित्सकीय परीक्षण प्रपत्र है, तथा डॉ. एस.एल. बंजारे (अ.सा.-9) के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अनिता अचेत नहीं थी, बल्कि अर्धचेतन अवस्था में थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. ये दस्तावेजी साक्ष्य तथा डॉ. एस.एल. बंजारे (अ.सा.-9), जो कि एक लोक सेवक हैं, के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि रामनारायण सतनामी (अ.सा.-2) असत्य कथन कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी पुत्री की मृत्यु के पश्चात्, अपने भाई तथा भाभी को अभियोजन एवं दोषसिद्धि से बचाने के उद्देश्य से ऐसा किया है। यह उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने भाई और भाभी को बचाने के प्रयास में उसने अपने दस्तावेजों तथा बयानों से मुँह मोड़ लिया है और अपनी स्वयं की पुत्री की घटना से संबंधित सत्य तथ्यों का बयान नहीं किया है।

19. सोनकुंवर सतनामी (अ.सा-3) का साक्ष्य, जो कि उसकी पुत्री द्वारा उसके तथा पुलिस के समक्ष दिए गए मृतुकालिक कथन से संबंधित है, उसे श्रीमती पनबाई (अ.सा-1) — उसकी माता, सुरेन्द्र कुमार सतनामी (अ.सा-7) तथा गोपाल भारद्वाज (अ.सा-8) — उसके भाइयों के साक्ष्य से पुष्ट किया जाता है, जिनकी उपस्थिति को पक्षद्रोही साक्षी रामनारायण सतनामी (अ.सा-2) द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

20. चिकित्सकीय साक्ष्य के अनुसार, जैजैपुर में प्रारंभिक उपचार/चिकित्सकीय परीक्षण के समय, जो कि घटना के लगभग दो घंटे पश्चात् सायं 7:35 बजे किया गया था, अनिताकुमारी (अब मृत) अचेत नहीं थी, अपितु अर्धचेतन अवस्था में थी। यह तथ्य अन्य साक्षियों के कथनों की पुष्टि करता है कि घटना के समय तथा यात्रा के दौरान अनिता बोलने एवं बयान देने की स्थिति में थी। प्र.पी /3 के अनुसार, उसने मृतुकालिक कथन दिया था कि दोनों अपीलार्थियों ने अपराध कारित किया है। श्रीमती पनबाई (अ.सा.-1), सोनकुंवर सतनामी (अ.सा.-3), सुरेन्द्र कुमार सतनामी (अ.सा.-7) तथा गोपाल भारद्वाज (अ.सा.-8) मृतका अनिताकुमारी के रिश्तेदार हैं तथा वे अपीलार्थियों के भी रिश्तेदार हैं। दोनों पक्षों के मध्य तनावपूर्ण संबंध होने का तथ्य विवादित नहीं है। घटना स्थल के निकट उनकी उपस्थिति अस्वाभाविक नहीं थी तथा केवल रिश्तेदारी या शत्रुता के आधार पर उनके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तथापि, इसे स्वीकार करने से पूर्व सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. रिश्तेदारों, हितबद्ध तथा शत्रुतापूर्ण साक्षियों के साक्ष्य के प्रमाणिक मूल्य के प्रश्न पर विचार करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य**[6] के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि सामान्यतः किसी साक्षी को स्वतंत्र माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसे स्रोत से न आता हो, जो संदिग्ध या दूषित होने की संभावना रखता हो। उक्त निर्णय के पैरा 26 में निम्नलिखित कहा गया है—

> "26. सामान्यतः किसी साक्षी को स्वतंत्र माना जाना चाहिए, जब तक कि वह ऐसे स्रोत से न आया हो, जो दूषित होने की संभावना रखते हों; और इसका सामान्य अर्थ यह है कि जब तक साक्षी के पास अभियुक्त के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत कारण, जैसे शत्रुता, न हो, जिससे वह उसे झूठा फँसाना चाहता हो। सामान्यतः कोई निकट संबंधी वास्तविक अपराधी को बचाने तथा किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फँसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। यह सत्य है कि जब भावनाएँ तीव्र होती हैं और शत्रुता का कोई व्यक्तिगत कारण होता है, तब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई साक्षी, अपने किसी निजी बैर के कारण, दोषी के साथ-साथ किसी निर्दोष व्यक्ति को भी घसीट लेता है; किंतु ऐसी आलोचना के लिए ठोस आधार स्थापित किया जाना आवश्यक है। मात्र रिश्तेदारी का तथ्य, किसी साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का आधार नहीं है, बल्कि कई बार यही सत्य की एक सुनिश्चित गारंटी भी होता है।"

[6] (1954) 1 SCR 145

22. जैसा कि माननीय शीर्ष न्यायालय ने **मोहब्बत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[7] के प्रकरण में प्रतिपादित किया है, मात्र रिश्तेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का आधार नहीं हो सकती। यदि झूठे फँसाने का तर्क दिया जाता है, तो उसके लिए ठोस आधार स्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्णय के पैरा 7 में निम्नलिखित कहा गया है—

> "7. केवल इस कारण से कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जब हितबद्धता का आरोप लगाया जाता है, तो उसे सिद्ध किया जाना आवश्यक है। मात्र यह कहना कि मृतक के रिश्तेदार होने के कारण वे अभियुक्त को झूठा फँसा सकते हैं, ऐसे साक्ष्य को, जो अन्यथा सुसंगत और विश्वसनीय हो, अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकता। हम साक्षियों की कथित हितबद्धता के संबंध में अभियोजन संस्करण को आगे बढ़ाने के तर्क पर भी विचार करेंगे। रिश्तेदारी किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रायः ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को छिपाएगा नहीं और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगाएगा। यदि झूठे फँसाने का तर्क दिया जाता है, तो उसके लिए ठोस आधार स्थापित किया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में न्यायालय को सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और साक्ष्य का विश्लेषण कर यह निर्धारित करना चाहिए कि वह सुसंगत एवं विश्वसनीय है या नहीं।"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गुली चंद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य**[8] के प्रकरण में यह अभिमत व्यक्त किया है कि मात्र यह तथ्य कि साक्षी कोई रिश्तेदार है अथवा उसके संबंधी हैं, उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

24. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिर्धिचंद सरडा (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि मृतक के साथ निकट संबंध एवं स्नेह के कारण, उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने या ऐसे तथ्य जोड़ने की प्रवृत्ति रख सकता है, जो वास्तव में उसे बताए ही न गए हों। यह आवश्यक नहीं कि ऐसा जानबूझकर किया जाए, बल्कि कई बार यह अवचेतन रूप से होता है। मृतक के प्रति प्रेम एवं स्नेह, कथित हत्यारे के प्रति मनोवैज्ञानिक घृणा

---

[7] 2009 AIR SCW 1486
[8] (1974) 3 SCC 698

उत्पन्न कर देता है और इसलिए न्यायालय को ऐसे साक्ष्य की अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता के साथ जाँच करनी चाहिए। उक्त निर्णय के पैरा 48 में निम्नलिखित कहा गया है—

> "48. साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने से पूर्व, हम कुछ प्रारंभिक टिप्पणियाँ करना उचित समझते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में मौखिक बयानों का मूल्यांकन किया जाना है। जिन व्यक्तियों के संबंध में कहा गया है कि मंजू ने अंतिम बार बीड़ जाने के दौरान उन्हें मौखिक बयान दिए थे, वे सभी मृतक के निकट संबंधी एवं मित्र हैं। निकट संबंध एवं स्नेह के कारण, साक्षी की स्थिति में कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर सकता है या ऐसे तथ्य जोड़ सकता है, जो वास्तव में उसे बताए ही न गए हों। यह आवश्यक नहीं कि यह जानबूझकर किया जाए, बल्कि कई बार यह अवचेतन रूप से होता है। मृतक के प्रति प्रेम एवं स्नेह, कथित हत्यारे के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक घृणा उत्पन्न कर देता है और इसलिए न्यायालय को ऐसे साक्ष्य की अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता के साथ जाँच करनी चाहिए। यह भी संभव है कि साक्षी सत्य का कोई भाग या संपूर्ण सत्य कह रहे हों, परंतु वे अभियुक्त के प्रति प्रतिशोध या बदले की भावना से प्रेरित हो सकते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे तथ्य, जो वास्तव में कहे नहीं गए हों, अवचेतन रूप से जोड़े जा सकते हैं, ताकि अपराधी को दंडित किया जा सके। यह मानवीय मनोविज्ञान है और इससे कोई बच नहीं सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. मृतका घटना के समय अथवा उसके चिकित्सकीय परीक्षण तक अचेत नहीं थी। इन परिस्थितियों में, उसके लिए यह स्वाभाविक एवं उचित था कि वह घटना के कारण को अपने निकट संबंधियों को मृतुकालिक कथन के रूप में बताए। मृतुकालिक कथन भी एक प्रकार का साक्ष्य है और एक बार यह सिद्ध हो जाने पर कि वह सत्य है, उसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

26. मृतुकालिक कथन का सिद्धांत विधिक सूक्ति "*नीमो मोरिटुरस प्रीसुमितुर मेंटिरी*" पर आधारित है, जिसका अर्थ है— "कोई व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में झूठ लेकर अपने स्रष्टा से नहीं मिलता।"

27. माननीय लॉर्ड चीफ जस्टिस बैरन आयर (देखें: आर. वी. वुडकॉक (1789), 1 Lea 502) ने मृतुकालिककथन के संबंध में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया:

> ".....ऐसे कथन अत्यंत गंभीर अवस्था में किए जाते हैं, जब व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होता है और इस संसार की प्रत्येक आशा समाप्त हो चुकी होती है; जब असत्य बोलने की प्रत्येक प्रेरणा समाप्त हो जाती है और मन को सत्य बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति इतनी गंभीर और भयावह होती है

कि विधि इसे न्यायालय में सकारात्मक शपथ के समान बाध्यता उत्पन्न करने वाली मानती है।"

28. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिर्धिचंद सरडा (पूर्वोक्त)** के मामले में कहा है, यदि दो दृष्टिकोण संभव हों तो अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना चाहिए। किंतु वर्तमान प्रकरण में दो दृष्टिकोण नहीं हैं, बल्कि केवल एक ही दृष्टिकोण है जो सिद्ध तथ्यों पर आधारित है। अतः **शरद बिर्धिचंद सरडा (पूर्वोक्त)** के मामले के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न हैं।

29. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नरसप्पा (पूर्वोक्त)** के मामले में कहा है, दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य पर आधारित नहीं थी, बल्कि परिजनों के समक्ष किए गए मृतुकालिककथन पर आधारित थी, जिसे स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि प्राप्त हुई थी। मृतुकालिककथन से संबंधित साक्ष्य विश्वसनीय और निर्णायक प्रकृति का होता है। **नरसप्पा (पूर्वोक्त)** के मामले के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न हैं।

30. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शेख मेहबूब उर्फ हेतक एवं अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले में कहा है, यह मामला विरोधाभासी मृतुकालिककथनों का नहीं है, जो आकस्मिक जलने, आत्मदाह या आत्म-प्रेरित जलने से संबंधित हों, बल्कि यह स्पष्ट रूप से हत्या के उद्देश्य से किए गए जलने के कारण हुई मृत्यु का मामला है। **शेख मेहबूब उर्फ हेतक एवं अन्य (पूर्वोक्त)** के मामले के तथ्य वर्तमान मामले से भिन्न हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अरुण भानुदास पवार (पूर्वोक्त)** के मामले में कहा है, अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि घायल व्यक्ति कथन देने की स्थिति में था अथवा वह कथन देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम अवस्था में था। उपर्युक्त गवाहों की साक्ष्य इन तथ्यों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

32. श्रीमती पनबाई (अ.सा-1), सोनकुंवर सतनामी (अ.सा-2), सुरेन्द्र कुमार सतनामी (अ.सा-7) तथा गोपाल भारद्वाज (अ.सा-8) की साक्ष्य, चिकित्सकीय साक्ष्य से पुष्ट होती है, जिसमें डॉ. एस.एल. बंजारे (अ.सा.-9) की साक्ष्य, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी /11 तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र.पी /14 सम्मिलित हैं। ये सभी साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं कि दोनों अपीलकर्ताओं ने समान आशय में अनिताकुमारी को आग लगाई, जिससे उसे गंभीर जलने की चोटें आईं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई।

33. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक मूल्यांकन करने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है। अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि विश्वसनीय एवं निर्णायक साक्ष्यों पर आधारित है, जो विधि के अंतर्गत स्थिर रखे जाने योग्य है।

34. गहन परीक्षण के पश्चात, हमें दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश में कोई भी अवैधता या त्रुटि नहीं पाई जाती और न ही निष्कर्ष से असहमति का कोई अन्य आधार प्रतीत होता है।

35. परिणामस्वरूप, यह अपील निराधार होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-

टी. पी. शर्मा,

न्यायाधीश

सही/-

आर. एन. चंद्राकर,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smriti Shrivastava (Advocate)